

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- मैरुं पुत्र घीसा कौम बैरवा आयु 60 साल निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अराई जिला अजमेर राज ।
-वादीगण

बनाम

- मिश्री पुत्र औंकार कौम बैरवा निवासी ग्राम गागुन्दा जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।




किस्म मुकदमा- धारा 88, 188 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 49 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024 /

वकील वादी:- विजेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/01/24	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर ए.डी. सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपर अपुत्रीगणों के सम्मन अर्थात् वाद तामिल इन्तगत पत्रावली दिनांक 22/11/24 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर) </p>	
22/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई जिला न्यायालय उप.। वादीगणों के सम्मन अर्थात् वाद तामिल इन्तगत पत्रावली दिनांक 22/11/24 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	

य उपखण्ड
द्वारा अन्तर्गत धारा 88(1) के द्वारा पेश किया गया है।

31/12 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

17/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 21/3/25 को पेश हो।

21/3/25 पत्रावली पेश हुई आज.....
की ओर से कार्य स्थगित रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/3/25 को पेश हो।

16/5/25 पत्रावली पेश हुई आज.....
की ओर से कार्य स्थगित रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/25 को पेश हो।

4/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

29/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 10/1/2025 को पेश हो।

10/1/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 10/1/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
असाई

10/1/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 10/1/2025 को पेश हो।

विवरण
1. वाद पत्र न्यायालय के द्वारा अन्तर्गत धारा 88(1) के द्वारा पेश किया गया है ?
2. क्या वाद पत्र के साथ पत्रावली पेश की गई है ?
3. क्या वाद पत्र उचित संख्या में है ?
4. क्या वाद पत्र प्रति म हस्ताक्षर किया गया है ?
5. क्या वाद पत्र उचित संख्या में है ?
6. क्या वाद पत्र प्रति म हस्ताक्षर किया गया है ?